

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प01/11/ १५

दिनांक :- 28 / 06 / 2011

—: आदेश :-

निर्देशानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वर्ष 2011 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप निदेशालय के सगसंख्यक आदेश क्रमांक 52 दिनांक 13.05.11 के द्वारा चिकित्सकों को नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन किया गया। नियुक्ति कि शर्तों के अनुसार आदेश जारी होने कि दिनांक से एक माह के भीतर- 2 नव नियुक्ति पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। भिन्नलिखित चिकित्सक ने उसके नाम के सामने अंकित कारणों से कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि हेतु निवेदन किया है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	मेरिट संख्या	पदस्थापन स्थान	अभिवृद्धि का कारण	कार्यग्रहण अवधि में इच्छित वृद्धि की दिनांक
1.	डा० साक्षी सिंह	R-265	प्राथ०स्वा०केन्द्र राफ भरतपुर	स्वयं कि बीमारी व पारिवारिक कारणों से	3 माह
2.	डा० वर्षा जीजवाडिया	R-250	प्राथ०स्वा०केन्द्र धनोता जयपुर	पारिवारिक कारणों से	2 माह
3.	डा० चारु सिंह	R-192	प्राथ०स्वा०केन्द्र देवता जयपुर	पी०जी० के कारण	3 वर्ष पी०जी० पूर्ण होने तक
4.	डा० जया नाग	R-108	प्राथ०स्वा० केन्द्र सिगोदखुर्द	पिताजी का स्वा० टीक नसी होने के कारण	2 माह
5.	डा० तनवी सिधानी	R-268	प्राथ०स्वा०केन्द्र, लावा टोंक	पी०जी० के कारण	6 माह
6.	डा० सिद्धार्थ वर्मा	R-96	प्राथ०स्वा०केन्द्र, भटिण्डा जोधपुर	स्वयं कि बीमारी के कारण	3 माह
7.	डा० अदिति शर्मा	R-170	प्राथ०स्वा० केन्द्र, भाडाहेडा कोटा	स्वयं कि बीमारी के कारण	एक माह

उपरोक्त चिकित्सकों को वांछित अवधि तक कार्यग्रहण हेतु अभिवृद्धि दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.06.11 तक नवनियुक्ति स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर ले, अन्यथा निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त/नाम नियुक्ति आदेश से विलोपित हो जायेगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुगोदगोपरान्त जारी किये जाते है।

१-

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, (ग्रुप-2) राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, संबंधित।
6. संबंधित चिकित्सक को घर के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करें।
8. निजि/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।